न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 — 01/2020

1. दलवीर पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी 47 एलएनपी द्वितीय बीझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजबीर पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी 47 एलएनपी द्वितीय बीझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—वादीगण —

बनाम

1. बृजलाल पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 47 एलएनपी द्वितीय बीझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर।

— प्रतिवादीगण—

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

दिनांक : 17/01/2020

—निर्णय—

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल के नाम से वाके चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि व चक 47 एलएनपी प्रथम तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 45/43 का मरबा नं0 29 की 0.759 है0 बारानी भूमि दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 के पिता बृजलाल को विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसमें से पारिवारिक समझौता अनुसार चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि एवं चक 47 एलएनपी प्रथम तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 45/43 का मुरबा नं0 29 की 0.759 है0 बारानी भूमि को वादीगण के हिस्सा में निम्न प्रकार नाम करवाने की घोषणा की जो निम्न प्रकार से है :—

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

1. वादी सं0 1 दलवीर के हिस्सा काश्त में चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 नहरी भूमि आई हैं। जिस पर वादी सं0 1 हिस्सा अनुसार काबिज चला आ रहा है।

Scanned by CamScanner

2. वादी सं0 2 राजबीर के हिस्सा काश्त में चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 नहरी भूमि एवं चक 47 एलएनपी प्रथम तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 45/43 का मुरबा नं0 29 की 0.759 है0 बारानी भूमि आई है। जिस पर वादी सं0 2 हिस्सा अनुसार काबिज चला आ रहा है।

3. चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा कब्जा में है। उक्त सम्पति संयुक्त हिन्दु परिवार की विरास्तन सम्पति है। जिसमें वादीगण हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। जो मौखिक घरू बंटवारानुसार खातेदार घोषित करवाने के हकदार है। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम से इसी चक में अन्य भूमि दर्ज है। जो करीबन 0.113 है0 भूमि बनती है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। वादी सं0 1 दलवीर के हिस्सा काश्त में चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 नहरी भूमि आई हैं , वादी सं0 2 राजबीर के हिस्सा काश्त में चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 नहरी भूमि एवं चक 47 एलएनपी प्रथम तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 45/43 का मुरबा नं0 29 की 0.759 है0 बारानी भूमि आई है। जिस पर वादी सं0 2 हिस्सा अनुसार काबिज चला आ रहा है। वादीगण को उक्तानुसार भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री भारत कुमार जोशी अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान दावा में वादीगण सं0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 1 में मध्य पंचायत द्वारा लोक अदालत की भावना से

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

राजीनामा करवा दिया गया है और पारिवारिक समझौता अनुसार वादीगण/ प्रतिवादी अपनी-अपनी भूमि काश्त कर रहे है, वादीगण व प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार अपनी संयुक्त परिवार की भूमि वादी सं0 1 दलवीर के हिस्सा काश्त में चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 नहरी भूमि आई हैं एवं वादी सं0 2 राजबीर के हिस्सा काश्त में चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 नहरी भूमि एवं वादी सं0 2 राजबीर के हिस्सा में चक 47 एलएनपी प्रथम तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 45/43 का मुरबा नं0 29 की 0.759 है0 बारानी भूमि आई है। चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा चला आ रहा है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी हिस्सा अनुसार काबिज चला आ रहे हैं। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा वर्णित पारिवारिक समझौता अनुसार वाद पत्र डिक्री कर दिया जावें तो वादीगण/प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील पदमपुर के चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 नहरी वादी सं0 1 दलवीर पुत्र बृजलाल जाति जाट को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 नहरी भूमि एवं चक 47 एलएनपी प्रथम तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 45/43 का मुरबा नं0 29 की 0.759 है0 बारानी भूमि वादी सं0 2 राजबीर पुत्र बृजलाल

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

जाति जाट को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। व चक 47 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का खाता सं0 36/34 का मुरबा नं0 15 की 2.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 0.670 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.02.12 12:14:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: